

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनु.-3) विभाग

क्रमांक: प. 6(26) प्र.सु/अन-3/2009

जयपुर, दिनांक 18-07-2016

आज्ञा

दिनांक 21.12.2015 को स्टेट रोड सेफ्टी कौंसिल की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार राज्य में परिवहन व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ बनाने, प्रदूषण नियंत्रण एवं सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु सड़क सुरक्षा के उपाय एवं उनके मानको को सुनिश्चित करने आदि हेतु उपखण्ड स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति का गठन निम्नानुसार करने हेतु महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :-

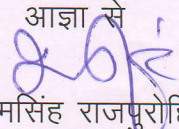
- | | |
|---|------------|
| 1. उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट | अध्यक्ष |
| 2. क्षेत्रीय वृत्ताधिकारी पुलिस/यातायात शाखा प्रभारी
(उपनिरीक्षक से अनिम्न स्तर का) | सदस्य |
| 3. खण्ड विकास अधिकारी (पंचायत समिति) | सदस्य |
| 4. क्षेत्रीय तहसीलदार | सदस्य |
| 5. क्षेत्रीय स्थानीय निकाय के अधिशासी
अधिकारी/आयुक्त (जैसी भी स्थिति हो) | सदस्य |
| 6. ब्लॉक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी | सदस्य |
| 7. उपखण्ड स्तर के सार्वजनिक निर्माण विभाग का
अधिकारी (सहायक अभियन्ता से अनिम्न स्तर के) | सदस्य |
| 8. ब्लॉक शिक्षा अधिकारी | सदस्य |
| 9. सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाली स्वयं सेवी
संस्थाओं का एक प्रतिनिधि (अध्यक्ष द्वारा मनोनीत) | सदस्य |
| 10. बस/ट्रक/अन्य ऑटोमोबाईल एसोसियेशन
का एक प्रतिनिधि (अध्यक्ष द्वारा मनोनीत) | सदस्य |
| 11. वाहन डीलर एसोसियेशन का एक प्रतिनिधि | सदस्य |
| 12. कॉरपोरेट क्षेत्र का एक प्रतिनिधि | सदस्य |
| 13. जिला परिवहन अधिकारी या उसका प्रतिनिधि
(मोटर वाहन उपनिरीक्षक से अनिम्न स्तर का) | सदस्य सचिव |
| 14. विशेष आमंत्रित अतिथि - | |
| i. स्थानीय सांसद/विधायक, | |
| ii. स्थानीय पंचायत समिति प्रधान | |
| iii. सभापति, क्षेत्रीय नगरपालिका/नगर परिषद् | |

उपरोक्त समिति के उद्देश्य निम्न प्रकार से होंगे :-

1. परिवहन व्यवस्था को अधिक सुविधाजनक, पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाना।
2. यातायात नियमों की अनुपालना सुनिश्चित कराना।
3. सड़क दुर्घटनाओं का अध्ययन, इनसे बचाव, दुर्घटनाओं में कमी लाने एवं सड़क दुर्घटना बाहुल्य स्थलों के सुधार बाबत सुझाव देना।
4. क्षमता से अधिक सवारी लेकर चलने वाली निजी जीपों, टैक्सियों, बस, मिनी बसों इत्यादि पर नियंत्रण करना।

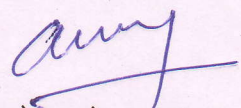
5. परिवहन निगम की सेवाओं में सुधार एवं यातायात साधनों की मांग के अनुरूप वैकल्पिक व्यवस्था करना।
6. सड़कें बनाने, सड़क चौड़ी करने, स्लिप लेन बनाने, ओवर ब्रिज बनाने, सहायक सड़क विकसित करने एवं बेहतर व्यवस्था के सुझाव एवं क्रियान्विति करना।
7. सड़क सुरक्षा के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित करना।
8. सड़क सुरक्षा के मानकों को सुनिश्चित कराना।
9. सड़क सुरक्षा हेतु गठित मंत्रीमण्डलीय उप समिति, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति, राज्य सड़क सुरक्षा परिषद्, राज्य यातायात प्रबंधन समिति, जिला यातायात प्रबंधन समिति के निर्णयों को लागू कराना।
10. सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ, परिवहन विभाग, राजस्थान द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की पालना सुनिश्चित करना।
11. सड़क दुर्घटना स्थलों का स्थानीय स्तर पर अंकेक्षण एवं बड़ी सड़क दुर्घटनाओं के अन्वेषण एवं विश्लेषण में सहयोग करना।
12. सड़क सुरक्षा एवं परिवहन से सम्बन्धित अन्य सभी कार्य करना।

उक्त समिति की प्रत्येक त्रैमास में एक बैठक आयोजित की जायेगी। उक्त समिति जिला यातायात प्रबंधन समिति एवं सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ, परिवहन विभाग, राजस्थान से लगातार सम्पर्क बनाये रखेगी। परिवहन विभाग के सम्बन्धित अधिकारीगण समिति की बैठकों में पारित निर्णय, क्रियान्विति, अनुपालना, बैठक कार्यवाही विवरण आदि स्थानीय उपखण्ड कार्यालय की सहायता से करेंगे। समिति के क्रियाकलापों हेतु प्रत्येक उपखण्ड कार्यालय में उपखण्ड स्तरीय सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ की स्थापना की जायेगी। यह समिति स्थायी होगी तथा इसका प्रशासनिक विभाग परिवहन विभाग होगा।

आज्ञा से

 (श्यामसिंह राजपुरोहित)
 विशिष्ट शासन सचिव

प्रतिलिपि: निम्नांकित को प्रशासनिक विभाग के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक माननीय परिवहन मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
4. विशिष्ट सहायक माननीय परिवहन राज्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त।
7. शासन उप सचिव, मुख्यालय, परिवहन विभाग को आज्ञा की अतिरिक्त प्रतियां समस्त संबंधित को वितरण करने हेतु प्रेषित है।
8. रक्षित पत्रावली।


 (के.के.खण्डेलवाल)
 अनुभाग अधिकारी